…ालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 265/2020

1. तीजा देवी पत्नि स्व0 भागीरथ
2. मोहन पुत्र स्व0 भागीरथ
3. रतन पुत्र स्व0 भागीरथ
4. प्रभू पुत्र स्व0 भागीरथ
5. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 भागीरथ
6. गणपत पुत्र स्व0 भागीरथ
7. लाली पुत्री स्व0 भागीरथ
8. कमला पुत्री स्व0 भागीरथ
9. मनभर पत्नि स्व0 मदन
10. सीताराम पुत्र स्व0 मदन
11. इन्द्रा पुत्री स्व0 मदन
12. सुरज पुत्र स्व0 मदन
13. मथुरा पत्नि स्व0 छोटू
14. मनोज पुत्र स्व0 छोटू
15. ममता पुत्री स्व0 छोटू

सर्व जाति रेगर सर्व निवासी ग्राम बरणा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

1. कमला देवी पत्नि रामधन
2. धन्या पुत्री रामधन
3. ज्ञाना पुत्र रामधन
4. मन्जू पुत्री रामधन
5. विमला पुत्री रामधन
6. शम्भू पुत्र रामधन
7. श्योराज पुत्र सुगना
8. गोन्या पुत्री सुगना
9. चन्ता पुत्री सुगना
10. बंशी पुत्र सुगना
11. भागचन्द पुत्र सुगना
    सर्व जाति रेगर सर्व निवासीगण ग्राम बरणा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 वास्ते सीमाओं की पत्थर गढ़ी करवाने बाबत।

दिनांकः 24/01/2022

उपस्थितः श्री रामदेव गुर्जर प्रार्थीगण अभिभाषक

अप्रार्थीगण अभिभाषक

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:43:22 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र जरिये वकील श्री रामदेव गुर्जर के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते सीमाओं की पत्थर गढ़ी करवाने बाबत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीगण ग्राम बरणा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर के स्थाई निवासी है। यह कि प्रार्थीगण की संयुक्त सह–खातेदारी, कब्जे काश्त की आराजी ग्राम बरणा पटवार क्षेत्र बरणा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके वर्तमान ख0नं0 992/4 रकबा 05–00–00 है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के उत्तर दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 की खातेदारी भूमि ख0नं0 993/4, दक्षिण दिशा मे सरकारी भूमि ख0नं0 4 गै0मु0 हरड़ा, पूर्व दिशा में सरकारी रास्ता ख0नं0 129 गै0मु0 हरड़ा एवं पश्चिम दिशा में ख0नं0 4 गै0मु0 हरड़ा भूमि का शेष भाग स्थित है। प्रार्थीगण संयुक्त रूप से ग्राम बरणा के ख0नं0 992/4 रकबा 05–00–00 भूमि पर कृषि कार्य करते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थीगण की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थीगण की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 आपस में पड़ौसी खातेदार एवं एक ही जाति के व्यक्ति है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 एवं उनके परिवारजन के द्वारा बिजाई, बुवाई के दिनों में प्रार्थीगण की सींव, मेड़ को उखाड़ने पर आमादा हो जाते है जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का परिवार काफी परेशान है। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में अपनी स्वयं कि आराजी में चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण दिनांक 25.06.2020 को जब उत्पन्न हुआ कि प्रार्थीगण की नींव, सींव, मेड़ पर खडे हरे वृक्ष की छगांई को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ एवं नींव, सींव से सम्बन्धित विवाद उत्पन्न हुआ तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा तहसील किशनगढ़ के समक्ष सीमाज्ञान हेतु निवेदन किया गया जिसमें तहसीलदार मह[illegible] दिनांक 27.06.2020 एवं दिनांक 17.07.2020 को सीमा ज्ञान [illegible] डोल को अप्रार्थीगण हटाने पर आमादा है, इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है तब से प्रार्थना पत्र कारण निरन्तर जारी है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:43:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

..ना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 प्रार्थीगण के ख0नं0 992/4 के पड़ौसी खातेदार होने से इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है एवं बदाम देवी पत्नि सुगना फौत हो चुकी है जिसके वारीसान अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 11 पूर्व से ही राजस्व रिकार्ड में पक्षकार कायम है एवं मादू पुत्र झुता फौत हो चुका है परन्तु इसके विधिक वारीसान राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण नहीं खुलने से पक्षकार कायम नहीं किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अपनी सह-खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम बरणा पटवार क्षेत्र बरणा तहसील किशनगढ़ के ख0नं0 992/4 रकबा 05-00-00 भूमि की राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के लिये प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 11 के तामिलशुदा नोटिस प्राप्त परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 05.03.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई एवं अप्रार्थी संख्या सं 12 कि ओर से जवाब पेश नही करने के कारण उनका जवाब अवसर बन्द किया गया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी एक पक्षीय बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण संयुक्त रूप से ग्राम बरणा के ख0नं0 992/4 रकबा 05-00-00 भूमि पर कृषि कार्य करते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थीगण की सह-खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थीगण की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 आपस में पड़ौसी खातेदार एवं एक ही जाति के व्यक्ति है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 एवं उनके परिवारजन के द्वारा बिजाई, बुवाई के दिनों में आराजी की सींव, मेड़ को उखाड़ने पर आमादा हो जाते है जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में अपनी स्वयं कि आराजी में चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। तहसीलदार किशनगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:43:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

दिनांक 27.06.2020 एवं दिनांक 17.07.2020 को सीमा ज्ञान किया गया परन्तु मौके पर लगी डोल को अप्रार्थीगण हटाने पर आमादा है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थीगण की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम बरणा पटवार क्षेत्र बरणा तहसील किशनगढ़ के ख0नं0 992/4 रकबा 05–00–00 भूमि की राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के लिये प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। ग्राम बरणा पटवार हल्का बरणा स्थित प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी ख0नं0 992/4 रकबा 05–00–00 भूमि का नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा में स्पष्ट अंकन है। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम बरणा पटवार हल्का बरणा तहसील किशनगढ़ स्थित प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ख0नं0 992/4 रकबा 05–00–00 भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकारान् कि उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25/03/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:43:22 IST
Reason: SelfAttested